शीर्ष प्राथमिकता

संख्या 46/जी0आई0-67/52-1-2014-01(131)/13

प्रेषक,

जय प्रकाश पाण्डेय,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण,
उ0प्र0 □□□□□

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 लखनऊ, दिनांक 25 फरवरी, 2014

विषय- 12 वीं पंचवर्षीय योजना में दिनांक 12 □ 13 सितम्बर, 2013 □□ 73वीं इम्पावर्ड कमेटी की बैठक में वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेण्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत जनपद सं□□□□□ के विकास खण्ड-बिसवाँ, □□□□□ □□□ □□□□□ (□□0□□0) में प्राइमरी स्कूलों में अतिरिक्त कक्षा-कक्षों हेतु केन्द्रांश की प्रथम किश्त एवं उसके सापेक्ष बनने वाला राज्यांश अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

□□□□,

उपर्युक्त विषय का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या- 3/19(35)/2013-□□0□□0, दिनांक 27.09.2013 □□□□□□ □□□□□ के उक्त विकास खण्डों के □□ □□□ □□मोदित लागत रू0 14.07 लाख से प्रश्नगत कार्य को करने हेतु **कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, लखनऊ** को कार्यदायी संस्था नामि□ □□□□□ कुल अनुमोदित केन्द्रांश रू0 10.54 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में प्राप्त केन्द्रांश रू0 5,26,000/-(रू0 □□□ □□ख छब्बीस □□□ मात्र) तथा उसके सापेक्ष बनने वाले राज्यांश रू0 1,76,000/-(रू0 □□ □□□ छिहत्तर हजार मात्र) अर्थात् कुल रू0 7,02,000/- (रू0 □□□ □□□ □□ हजार मात्र) योजना के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्राविधानित बजट रू0 1000.00 लाख के सापेक्ष उपलब्ध बजट रू0 794.516 लाख में से अवमुक्त कर आपके निवर्तन पर रखने व व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(रू0 लाख में)

विकास खण्ड-बिसवाँ

क्र0	□□□□	□□□□	□□□□	□□□□ □□□□	□□□ अनुमोदित केन्द्रांश	□□□ राज्यांश	□□□ □□□□	अवमुक्त प्रथम किश्त		अवमुक्त □□□ □□□□□ (□□0+□□0)
								केन्द्रांश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	□□□□□	ग्राम करीम पनाह के प्राइमरी स्कूलों में अतिरिक्त कक्षा-कक्ष एक स्कूल में 02 अतिरिक्त कक्ष	02	2.01	3.01	1.01	4.02	1.50	0.505	2.005

		कक्ष								

विकास खण्ड-□□□□										
2	,,	ग्राम गोरिया प्रहलादपुर में प्राइमरी स्कूल में अतिरिक्त कक्षा-कक्ष	02	2.01	3.01	1.01	4.02	1.50	0.505	2.005
विकास खण्ड-□□□□ (□□0□0)										
3	,,	प्राथमिक विद्यालय, □□□□□, □□□ टोला अतिरिक्त कक्षा-कक्ष का निर्माण	03	2.01	4.52	1.50	6.03	2.26	0.75	3.01
			07	**6.03**	**10.54**	**3.52**	**14.07**	**5.26**	**1.76**	**7.02**

1- अवमुक्त की जा रही धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। इसे सक्षम स्तर की स्वीकृ□□, यदि वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक □□, प्राप्त करके ही व्यय किया जाय। धनराशि के व्यय में वित्तीय नियमों का पालन किया □□□□□

2- अवमुक्त □□□□□ □□□□, अल्पसंख्यक कल्याण, □0प्र0 □□□□ द्वारा □□□□, **कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, लख□□** को हस्तान्तरित की जायेगी। यदि इस मद में कोई वृद्धि होती है तो अतिरिक धनराशि नहीं दी जायेगी। धनराशि का व्यय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य-मदों पर ही किया जायेगा। □□□□, अल्पसंख्यक कल्याण, □0प्र0 एवं कार्यदायी संस्थ □□ □□□□, के मध्य □□ □□□ □□ □□0□ 0□0□ (मेमोरेण्डम आफ अण्डर टेकिंग) भी हस्ताक्षरित किया जायेगा।

3- अवमुक्त धनराशि का व्यय योजना में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य मदों पर योजना के मार्ग-निर्देशों तथा समय-सम□ पर केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत निर्देशों की अधीन किया जायेगा।

4- योजना की गाइड लाइन्स □□□ □□□□ शिक्षा विभाग द्वारा प्राइमरी स्कूलों में अतिरिक्त कक्ष-कक्षों हेत□ निर्धारित मानकों सहित गुणवत्ता के साथ पूर्ण किया □□□□□

5- यथावश्यक उत्तर प्रदेश भण्डार क्रय नियमावली के प्राविधानों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय। निर्माण कार्य में पायी गयी किसी तरह की अनियमितता के लिए कार्यदायी संस्था, उससे सम्बन्धित अधिकारी तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

6- कार्यदायी संस्था द्वारा प्रश्नगत प्राइमरी स्कूलों में अतिरिक्त कक्षा-कक्षों पर एक बोर्ड का निर्माण किया □□□□, जिस पर योजना के स्वीकृत होने की तिथि, योजना की □□□□, बजट का स्रोत, कान्ट्रेक्टर □□ □□ व भौतिक लक्ष्य प्राप्त करने की तिथि का अं□□ होगा। कार्य के पूर्णोपरान्त उस पर स्थायी रूप से विवरण अंकित किया □□□□□

7- निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित शिड्यूल रेट एवं विशिष्टियों अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय। प्राइमरी स्कूलों में अतिरिक्त कक्षा-कक्षों की विशिष्टियाँ, □□□□, □□□ □□□ उपकरण आदि की डिजाइन वही होगी जो केन्द्र/राज्य □□□□□ □□□□□ शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित है।

http://shasanadesh.up.nic.in

8- निर्माण कार्य के पूर्ण होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था द्वारा उसके हस्तान्तरण की कार्यवाही जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी तथा योजना से सम्बन्धित विभाग के अधिकारी के माध्यम से की जायेगी।

9- अवमुक्त धनराशि के उपभोग में मितव्ययितापूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए वित्त विभाग के शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

10- अनुदान ग्राही (Grantee) द्वारा योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का एक □□□□ □□□□ मेन्टेन किया जायेगा। अवमुक्त धनराशि पर यदि कार्यदायी संस्था द्वारा ब्याज अर्जित किया गया है तो उसकी वसूली निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, □0प्र0 लखनऊ द्वारा करके उसे राजकोष में जमा कराय □□□□□

11- अवमुक्त धनराशि का दुरूपयोग होने की स्थिति में निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, □0प्र0 □□□□ एवं सम्बन्धित कार्यदायी संस्था के अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

12- अवमुक्त धनराशि के व्यय के उपरान्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी से हस्तान्तरित उपभोग प्रमाण-पत्र, त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट तथा निर्माण कार्य के फोटोग्राफ्स की सूची की दो-दो प्रतियां □□□□□, अल्पसंख्यक कल्याण, □0प्र0 □□ उपलब्ध करायी जायेंगी। तदोपरान्त नि□□□, अल्पसंख्यक कल्याण, □0प्र0 लखनऊ द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित उपभोग प्रमाण-पत्र व उक्त अन्य □□□□□ □□□□ □□ उपलब्ध कराये जायेंगे।

13- उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 □□ □ □- व्यय□ □□ □□□□ संख्या-48 के लेखा शीर्षक-4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर □□□□□ परिव्यय-□ □□□□□□□-02-□□□□ कल्याण- 800-अन्य व्यय- 01-केन्द्रीय □ □□□□□□□/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0107-अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेण्ट डिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्तर्गत राजकीय प्राइमरी स्कूलों का भवन निर्माण एवं अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण (के0 65/□□0 35-□□0+□□0)- 24-वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

14- □□ □ □□ वित्त विभाग अशासकीय पंजी सं□ -□-11-347/□□-2014, दिनांक 24.02.2014 में प्राप्त सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(जय प्रकाश पाण्डेय)
□□ □□□□□

संख्या (1)/□□□-1-2014तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- □□□□□□□□□, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, □□□□□□□□

2- □□□□□□□□□, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, □□□□□□□□

3- बजट अधिकारी, वित्त विभाग, □0प्र0 □□□□□

4- संयुक्त □□□□, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भ□□□ □□□□□ 11□□□□, पर्यावरण □□□, □□0□□0□0 काम्पलेक्स □□□□ □□□, नई दिल्ली।

5- प्रमुख सचिव, □□□□ शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को प्रश्नगत प्राइमरी स्कूलों में अतिरिक्त कक्षा-कक्षों में निर्धारित मानकों का अनुपालन करने एवं गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में अपने स्तर से भी यथावश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

6- □□□□ □□□□, □□0मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण □□□□□ □□ □□0मंत्री जी के अवलोकनार्थ।

http://shasanadesh.up.nic.in

7- □□□ □□□, प्रमुख □□□, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग को प्रमु□ □□□ □□□□ □□ अवलोकनार्थ।

8- □□□□, □□□ शिक्षा विभाग, □□□□□

9- □□□□, **कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, लखन□** को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत प्राइमरी स्कूलों में अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का समयान्तर्गत एवं गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

10- मुख्य कोषाधिकारी, □□□□ □□□, □□□□□

11- जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, □□□□□

12- वित्त (□□-व्ययन□) □□□□-1 को तीन स्वच्छ प्रति तथा वित्त-ई-11 □□ 01 प्रति।

13- लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण □□□□, □□□□ □□ □□ आशय से प्रेषित कि उपरोक्त स्वीकृ□□ अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की □□□□ पर अपलोड करने का कष्ट करें।

14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जय प्रकाश पाण्डेय)
□□ □□□□

http://shasanadesh.up.nic.in